फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– शंकरलाल

विपक्षी :– नकारी

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 03/18

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.02.2018 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में तलब की गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 5 स्वयं उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं करने व मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति के लिए सहमत हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आराजी न. 3545, 3546 कुल किता 2 रकबा 5 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 408, 409, 3563 किता 3 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया। (जितेन्द्र ओझा) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	